



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022022-233386
CG-DL-E-14022022-233386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]
No. 111]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2022/माघ 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2022/MAGHA 25, 1943

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 113(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (गक) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2002, की अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 19, क्रम संख्यांक 20 और क्रम संख्यांक 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	पद का प्रवर्ग	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार स्तर
1	2	3
“19	स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	स्तर-6
20	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -I)	स्तर-5
21	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी -II)	स्तर-4
22	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	स्तर-2
23	फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर	स्तर-2
24	डिस्पैच राइडर	स्तर-2
25	बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम.टी.एस)	स्तर-1”

[फा. सं. 10-04/2020-पुनर्गठन]

सु. बालचन्द्र अय्यर, उप महानिदेशक (सी एंड ए)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 113(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (ca) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule-I to the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002, for serial numbers 19, 20 and 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Category of Post	Level as per Pay Matrix of the seventh Central Pay Commission
1	2	3
“19	Staff Car Driver (Special Grade)	Level-6
20	Staff Car Driver (Grade-I)	Level-5
21	Staff Car Driver (Grade-II)	Level-4
22	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	Level-2
23	Photo Copy Machine Operator	Level-2
24	Dispatch Rider	Level-2
25	Multi Tasking Staff	Level-1”.

[F.No.10-04/2020-Restg.]

S. BALACHANDRA IYER, Dy. Director General (C & A)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), vide notification No. G.S.R. 726 (E) dated the 25th October, 2002.